[12/3/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 549]

परिशिष्ट - 'अ'

अतारां. प्र. क्र. - 549

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्र.–सी, 5–1/2016/1/3

भोपाल, दिनांक 31.08.2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत्।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी 3–12/2013/1–3, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति के दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। परिपत्र की कण्डिका 11.1 में यह प्रावधान है कि कार्यभारित/आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के दिवंगत होने पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी परन्तु उनके परिवार के आश्रित नामांकित सदस्य को एकमुश्त रूपये 2.00 लाख(रूपये दो लाख) की राशि अनुकंपा अनुदान के नाम से दी जाएगी। उसमें ग्रेज्यूटी की राशि सम्मिलित नहीं होगी। इस राशि का भुगतान संबंधित विभाग के कार्यभारित/आकस्मिकता के मद के अंतर्गत वेतन मद से किया जावेगा।

2– राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले सेवा के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान विद्यमान व्यवस्था अनुसार किया जाए। अतः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 में जारी दिशा–निर्देशों के मापदण्ड के अनुरूप ही कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के दिवंगत होने पर उनके आश्रित को इसी सेवा की स्थापना के रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाई सुनिश्चित की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.बी. पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष–

परिशिष्ट - 'ब'

अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 549

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग

क्रमांक 1206/2644/92/नि-6/चार, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर, 1992.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश.

विषय :- कार्यभारित तथा आकस्मिकता व्यय से वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय शेष अर्जित अवकाश के समर्पण एवं नगदीकरण बावत् ।

--0--

विषयांकित के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.ए.-1/13/77/नि-1/चार दिनांक 16-9-80 सहपठित ज्ञाप क्रमांक 161-4131-82-नि-1-चार दिनांक 31-1-83 के प्रावधान कार्यभारित तथा आकस्मिकता व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को लागू नहीं है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर) 9.9.92
(क्यू०एम० कुरेशी)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ०क्र० 1207/2644/92/नि-6/चार, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर, 1992.

प्रतिलिपि :-

सचिव, राज्यपाल महोदय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल.
सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
अवर सचिव (स्थापना), मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 549

परिशिष्ट 'स'

स.क्रं.	अनुकंपा नियुक्ति के निराकृत प्रकरण	अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण	रिमार्क
1	127	61	पद रिक्त नहीं होने के कारण लंबित

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-